प्रकरण सं0 :– 27 / 2019
दायर दिनांक :– 04.04.2019

अनवान

श्री मणिराजसिंह पिता रणवीरसिंह राजपुत निवासी देवली

वादी.........

बनाम

1. श्री सन्नी सेठी पुत्र मोहन लाल सेठी पंजाबी नि. पटेलनगर देवली
2. श्री प्रहलाद सिंह पिता घीसा दरोगा नि. उँचा तहसील जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण...........

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 ए, 92 ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शशिकान्त पत्रिया, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 15.10.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम उँचा पटवार हल्का उँचा तहसील जहाजपुर की आ0 न0 1566 / 1370 रकबा 12.11 बीघा में वादी के राजस्व रेकार्ड में हक व हिस्से अनुसार कब्जा अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाने हतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 20.09.2019 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :–
ग्राम उँचा पटवार हल्का उँचा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	लगान
1	श्री सन्नी सेठी पिता मोहन लाल सेठी पंजाबी नि. पटेलनगर देवली	1566 / 1370	06.13	0.99
		कुल किता 01	06.13	0.99
2	श्री मणिराज सिंह पिता	1706 / 1370	03.07	0.50

सहायक कलेक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

	रणवीर सिंह राजपूत नि. देवली गांव	कुल किता 01	03.07	0.50
3	श्री प्रहलाद सिंह पिता घीसा दरोगा नि. उँचा	1707 / 1370	2.11	0.39
		कुल किता 01	02.11	0.39

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग–2 दर्ज किया जावे। नोन ज्युडीशियल स्टाम्प नियमानुसार पेश होने पर पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री मणिराजसिंह पिता रणवीरसिंह राजपुत निवासी देवली

वादी.........

बनाम

1. श्री सन्नी सेठी पुत्र मोहन लाल सेठी पंजाबी नि. पटेलनगर देवली
2. श्री प्रहलाद सिंह पिता घीसा दरोगा नि. उँचा तहसील जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण...........

दावा बाबत – 53 एं, 92ए 188 आर.. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 27 / 2019

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री शशिकान्त पत्रिया का मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :–

ग्राम उँचा प. ह. उँचा तहसील जहाजपुर

क.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा
1	श्री सन्नी सेठी पिता मोहन लाल सेठी पंजाबी नि. पटेलनगर देवली	1566 / 1370	06.13
		कुल किता 01	06.13
2	श्री मणिराज सिंह पिता रणवीर सिंह राजपूत नि. देवली गांव	1706 / 1370	03.07
		कुल किता 01	03.07
3	श्री प्रहलाद सिंह पिता घीसा दरोगा नि. उँचा	1707 / 1370	2.11
		कुल किता 01	02.11

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग–2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.10.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.10.31 16:14:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: